

प्रेस नोट

- पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 16.10.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अ0सं0-322/25 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण 1. मसूक अली पुत्र मोहम्मद निवासी मल्लाहनपुरवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात, 2.युनुस अली पुत्र कल्लू शाह निवासी तिगाई थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अ0सं-180/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अनुपम कुमार पुत्र श्री किशन निवासी ग्राम शहबाजपुर नरिहा थाना अकबरपुर कानपुर देहात उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अमराहट पुलिस द्वारा अ0सं0-042/25 धारा 137(2)/319(1)/87/64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त समीर उर्फ अभिषेक पुत्र बहुरुद्धिन निवासी बर्गा कटरा सराफा बाजार जनपद औरैया को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बरौर पुलिस द्वारा अ0सं0-50/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त बृजेश उर्फ सौरभ पुत्र स्व0 विष्णु दयाल निवासी नगलाबहुरी थाना मौहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अमराहट पुलिस द्वारा अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ दिलावर पुत्र संतोष सिंह निवासी साहनीपुर डेरा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा सार्वजनिक स्थान पर आने जाने वाली लडकियों को देखकर अश्लील गाना गाने व हरकते करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 44/25 धारा 296 (B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्ता श्री मती उर्मिला पत्नी स्व जितेन्द्र उर्फ कुन्नु निवासी ग्राम नरिहा थाना अकबरपुर कानपुर देहात उम्र करीब 50 वर्ष के कब्जे से से 31 अदद क्वाटर जानेमन देशी ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 464/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 13 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।